

पत्रांक-04/SJSRY-09/2014- 2808  
निरीक्षक  
30/11

पत्रांक-04/SJSRY-09/2014 - 2808

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

विशेष सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार।  
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक- 30/11/18

**विषय:-** DAY-NULM योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

**प्रसंग :-** विभागीय पत्रांक-1498 दिनांक-14.06.2018  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासांगिक पत्र के माध्यम से नगर निकायों में DAY-NULM योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध करने के बावजूद व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो काफी खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं महालेखाकार, बिहार को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बाद ही भारत सरकार से योजना के अधीन आगामी किस्त की राशि आवंटित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि DAY-NULM योजना के क्रियान्वयन हेतु विमुक्त की गयी राशि के विरुद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 10 दिनों के अंदर फॉर्म-42A में विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा सके।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,  
29/11/18

विशेष सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक- 30/11/18

ज्ञापक-04/SJSRY-09/2014 - 2808

प्रतिलिपि:-प्रभारी, MIS Cell, इन्दिरा भवन, पटना/टीम लीडर, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि नगर निकायों में प्रतिदिन संपर्क स्थापित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव-सह-निदेशक।